# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल

फोन 0755–2550095, 2551486–87 फैक्स 2550094


क्रमांक 3541 / MGNREGS-MP / मॉनिट / NR-7/ मनरेगा / 11 भोपाल, दिनांक 31 / 3/2011

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
  जिला–समस्त (मध्यप्रदेश)

**विषयः योजनांतर्गत कार्यों की लागत में मजदूरी एवं सामग्री के निर्धारित अनुपात में विसंगति।**

**संदर्भ :विभाग का पत्र क्रमांक 2443 / MGNREGS-MP / मॉनिट / NR-7/मनरेगा / 11 भोपाल, दिनांक 01.03.2011**

---0---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से मनरेगा के कार्यों में मजदूरी एवं सामग्री के घटक का अनुपात 60:40 संधारित किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं तथा कुछ जिले में निर्धारित अनुपात संधारित न होने पर स्टापडेम एवं अन्य सामग्री बाहुल्य निर्माण कार्यों की स्वीकृति पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस पर कुछ जिलों में अभिसरण अंतर्गत होने वाले कार्य भी स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अभिसरण अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य जैसे– सी.सी. रोड इत्यादि के कार्यों को सभी जिलों में नियमानुसार स्वीकृति दी जा सकेगी। किन्तु मजदूरी एवं सामग्री अनुपात सुनिश्चित करने हेतु अभिसरण के अंतर्गत विधायक अथवा अन्य मद की राशि का उपयोग कार्य में पहले सुनिश्चित किया जावेगा।

30/3/11

(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल

पृ. क्रमांक 3542/ MGNREGS-MP / मॉनिट / NR-7/ मनरेगा / 11 भोपाल, दिनांक 31 / 3 /2011

**प्रतिलिपि–**

1. आयुक्त, संभाग समस्त की ओर सूचनार्थ।

30/3/11

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल